SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता : एक विधिक विश्लेषण

गरिमा जैन (शोधार्थी)
डॉ. दिनेश बाबू गौतम (पर्यवेक्षक)
संकायाध्यक्ष विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सार

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध एक गंभीर सामाजिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है, जो उनके जीवन एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस समस्या के समाधान हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया। जो महिलाओं को व्यापक विधिक संरक्षण प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं उसकी प्रभावशीलता का विधिक विश्लेषण करना है। अध्ययन में अधिनियम के प्रावधानों, उनके व्यवहारिक प्रवर्तन तथा संस्थागत तंत्र की भूमिका का परीक्षण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम का विधिक ढाँचा सुदृढ़ होने के बावजूद इसके प्रभावी क्रियान्वयन में संस्थागत कमियाँ, सामाजिक बाधाएँ एवं जागरूकता का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अधिनियम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रवर्तन एवं जागरूकता आवश्यक है।

मुख्य शब्द

घरेलू हिंसा, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, विधिक संरक्षण, क्रियान्वयन, प्रभावशीलता, संरक्षण अधिकारी, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

1. भूमिका

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होने वाला एक गंभीर सामाजिक एवं विधिक अपराध है, जो उनके मौलिक अधिकारों विशेषतः समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, गरिमा एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान करता है जो उनके विधिक संरक्षण का आधार है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के माध्यम से महिलाओं को भेदभाव से मुक्त एवं सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जिससे घरेलू हिंसा जैसे कृत्यों को असंवैधानिक माना जाता है। इसी संदर्भ में महिलाओं को प्रभावी विधिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया, जिसने घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सिविल राहतें उपलब्ध कराईं। यह अधिनियम पारंपरिक दंडात्मक कानूनों से भिन्न एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें पीड़िता को त्वरित संरक्षण, निवास का अधिकार एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं उसकी प्रभावशीलता का विधिक विश्लेषण करना है, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि यह अधिनियम व्यवहारिक स्तर पर किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहा है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा की समस्या का गहरा संबंध परंपरागत पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना से रहा है, जिसमें महिलाओं की स्थिति को अधीनस्थ माना गया तथा उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को निजी अथवा पारिवारिक मामला समझकर लंबे समय तक अनदेखा किया जाता रहा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के प्रभाव में महिलाओं के अधिकारों का ह्रास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ व्यापक रूप से विद्यमान रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए, तथापि व्यवहारिक स्तर पर घरेलू हिंसा की समस्या में अपेक्षित कमी नहीं आई।

प्रारंभिक विधिक उपाय, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, मुख्यतः दंडात्मक प्रकृति के थे, जो महिलाओं को त्वरित एवं समग्र सिविल राहत प्रदान करने में पर्याप्त नहीं थे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 ने समानता एवं मानव गरिमा के सिद्धांतों को स्थापित किया। जबकि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का अभिसमय (CEDAW), 1979 ने महिलाओं के अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए राज्यों पर यह दायित्व आरोपित किया कि वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रभावी विधिक उपाय अपनाएँ, जिससे घरेलू हिंसा के विरुद्ध विधिक उपायों की आवश्यकता को बल मिला। इन्हीं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों एवं घरेलू आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया, जिसने पहली बार घरेलू हिंसा को व्यापक रूप में परिभाषित करते हुए महिलाओं को सिविल संरक्षण, त्वरित राहत एवं गरिमापूर्ण जीवन का विधिक आधार प्रदान किया।

3. परिकल्पनाएँ

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का विधिक ढाँचा सुदृढ़ होने के बावजूद उसका प्रभावी क्रियान्वयन व्यवहारिक स्तर पर पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हो पाया है।
- संस्थागत, सामाजिक एवं जागरूकता संबंधी कारक अधिनियम की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध मुख्यतः सैद्धांतिक एवं सामाजिक-वैधानिक पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों, उनके उद्देश्य एवं न्यायिक व्याख्याओं का विश्लेषण सैद्धांतिक विधि के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान, संबंधित अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है।

इसके साथ ही, अधिनियम के व्यवहारिक क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन सामाजिक-वैधानिक दृष्टिकोण से किया गया है, जिसके अंतर्गत विधिक प्रावधानों एवं सामाजिक वास्तविकताओं के मध्य संबंध का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों, जैसे विधि संबंधी पुस्तकें, शोध-पत्र, जर्नल लेख, सरकारी रिपोर्टें एवं आधिकारिक प्रकाशनों का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों, उनके क्रियान्वयन एवं उनसे संबंधित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है। इस प्रकार, यह शोध "law in books" एवं "law in action" के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए अधिनियम की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।

5. अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों, उसके क्रियान्वयन तथा प्रभावशीलता के विश्लेषण तक सीमित है। इस अध्ययन में विशेष रूप से महिलाओं को उपलब्ध विधिक अधिकारों, जैसे संरक्षण, निवास, आर्थिक सहायता एवं प्रतिकर, का परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही, अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत संस्थागत तंत्र-जैसे संरक्षण अधिकारी, पुलिस, सेवा प्रदाता एवं न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन में अधिनियम के व्यवहारिक क्रियान्वयन में आने वाली सामाजिक, प्रशासनिक एवं विधिक चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि यह अधिनियम व्यवहारिक स्तर पर किस सीमा तक प्रभावी है।

6. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों, उनके क्रियान्वयन तथा उनकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि अधिनियम महिलाओं को

घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो रहा है तथा इसके अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपाय व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार लागू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस शोध का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्र-जैसे संरक्षण अधिकारी, पुलिस, सेवा प्रदाता एवं न्यायालयकी भूमिका का मूल्यांकन करना तथा यह विश्लेषण करना है कि इन संस्थाओं के कार्य निष्पादन में कौन-कौन सी व्यावहारिक बाधाएँ एवं सीमाएँ विद्यमान हैं। अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक कारकों, जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता, जागरूकता की कमी एवं महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, के प्रभाव का परीक्षण करना भी है, जो अधिनियम की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधान एवं न्यायिक व्याख्या

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भारतीय विधिक व्यवस्था में महिलाओं के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील अधिनियम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू संबंधों के भीतर होने वाली हिंसा से त्वरित, प्रभावी एवं समग्र संरक्षण प्रदान करना है। यह अधिनियम पारंपरिक दंडात्मक कानूनों से भिन्न एक सिविल प्रकृति का विधिक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें पीड़िता को राहत, सुरक्षा एवं पुनर्वास प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ प्रदान की गई हैं। धारा 2(क) के अनुसार "पीड़ित व्यक्ति" वह महिला है, जो किसी घरेलू संबंध में रहते हुए घरेलू हिंसा का शिकार होती है। धारा 2(फ) "घरेलू संबंध" की परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें विवाह, रक्त संबंध, गोद लेना तथा सहजीवन (लिव-इन संबंध) सम्मिलित हैं। धारा 2(स) "साझा गृह" की अवधारणा को स्पष्ट करती है, जिसके अंतर्गत वह घर सम्मिलित है जहाँ पीड़िता अपने पति या परिवार के साथ निवास कर चुकी है, चाहे उस पर उसका स्वामित्व हो या न हो।

अधिनियम की धारा 3 घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करती है, जो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक एवं

यौन उत्पीड़न को घरेलू हिंसा के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार, यह अधिनियम हिंसा के विभिन्न आयामों को समाहित करते हुए महिलाओं को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है।

धारा 4 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को घरेलू हिंसा की सूचना देने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे यह अधिनियम केवल पीड़िता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के अन्य सदस्यों को भी हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। धारा 5 पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों को निर्धारित करती है, जिनका दायित्व पीड़िता को उसके अधिकारों की जानकारी देना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों से संबंधित हैं। संरक्षण अधिकारी का दायित्व घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना, पीड़िता की सहायता करना तथा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को मान्यता दी गई है, जो पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, आश्रय एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

महिलाओं को उपलब्ध अधिकारों एवं राहतों का मुख्य प्रावधान धारा 17 से 22 तक किया गया है। धारा 17 के अंतर्गत महिला को साझा गृह में निवास का अधिकार प्रदान किया गया है, जो उसे बेदखल किए जाने से विधिक संरक्षण प्रदान करता है। धारा 18 के अंतर्गत न्यायालय संरक्षण आदेश पारित कर सकता है, जिसके माध्यम से आरोपी को हिंसा करने या पीड़िता से संपर्क करने से रोका जाता है। धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से न्यायालय पीड़िता को सुरक्षित आवास प्रदान कर सकता है अथवा आरोपी को घर से बाहर जाने का आदेश दे सकता है।

धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें भरण-पोषण, चिकित्सा व्यय एवं अन्य आवश्यक खर्च सम्मिलित हैं। धारा 21 के अंतर्गत बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित आदेश पारित किए जा सकते हैं। धारा 22 के अंतर्गत पीड़िता को मानसिक पीड़ा एवं भावनात्मक क्षति के लिए प्रतिकर प्रदान किया जाता है।

प्रक्रियात्मक दृष्टि से धारा 12 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत पीड़िता या उसके प्रतिनिधि द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। धारा 23 मजिस्ट्रेट को

अंतरिम एवं तात्कालिक आदेश पारित करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे पीड़िता को शीघ्र राहत प्राप्त हो सके।

अधिनियम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने हेतु धारा 31 के अंतर्गत संरक्षण आदेश के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए आरोपी को कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 26 यह सुनिश्चित करती है कि पीड़िता अन्य सिविल या आपराधिक कार्यवाहियों के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत भी राहत प्राप्त कर सकती है।

न्यायिक दृष्टिकोण की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अधिनियम की व्याख्या को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाया है। वी.डी. भानोट बनाम सविता भानोट (2012) में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को व्यापक संरक्षण प्रदान करना है और इसकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। एस.आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (2007) में "साझा गृह" की अवधारणा की व्याख्या की गई, यद्यपि इस निर्णय की आलोचना भी की गई। हिरल पी. हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा (2016) में न्यायालय ने अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए यह स्पष्ट किया कि केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति प्रतिवादी हो सकता है। इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013) में न्यायालय ने सहजीवन संबंधों को भी अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण योग्य माना।

इस प्रकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एक समग्र, प्रगतिशील एवं अधिकार-आधारित विधिक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

8. क्रियान्वयन, प्रभावशीलता एवं चुनौतियाँ

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि अधिनियम का विधिक ढाँचा व्यापक, प्रगतिशील एवं अधिकार आधारित है, तथापि इसकी प्रभावशीलता उसके

व्यवहारिक प्रवर्तन पर निर्भर करती है। अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थागत तंत्र-जैसे संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, न्यायालय एवं पुलिस इसके प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इनकी कार्यप्रणाली में अनेक कमियाँ एवं चुनौतियाँ परिलक्षित होती हैं, जो अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। संरक्षण अधिकारियों की भूमिका अधिनियम के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पीड़िता एवं न्यायालय के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, अनेक राज्यों में संरक्षण अधिकारियों की अपर्याप्त नियुक्ति, प्रशिक्षण का अभाव तथा संसाधनों की कमी एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। परिणामस्वरूप, घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने, समय पर आवेदन प्रस्तुत करने तथा पीड़िता को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

इसी प्रकार, सेवा प्रदाताओं एवं आश्रय गृहों की सीमित उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा सहायता, परामर्श एवं सुरक्षित आवास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तथापि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इन सुविधाओं की अनुपलब्धता महिलाओं के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। इस प्रकार, विधिक अधिकार होने के बावजूद व्यावहारिक सहायता का अभाव अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित करता है।

न्यायिक प्रक्रिया में विलंब भी अधिनियम की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख चुनौती है। अधिनियम त्वरित राहत प्रदान करने पर बल देता है, किंतु न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता, प्रक्रियात्मक जटिलताएँ एवं प्रशासनिक बाधाएँ पीड़िता को समय पर न्याय प्राप्त करने से वंचित करती हैं। अंतरिम आदेशों के बावजूद अंतिम निर्णय में देरी महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पुलिस तंत्र की भूमिका भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु अनेक मामलों में पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा को निजी या पारिवारिक विवाद मानकर गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों में लैंगिक संवेदनशीलता एवं विधिक जानकारी का अभाव भी पीड़िता को त्वरित संरक्षण प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करता है। सामाजिक एवं

सांस्कृतिक कारक भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोध हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, सामाजिक प्रतिष्ठा का भय, पारिवारिक दबाव तथा महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग से रोकती है। अनेक महिलाएँ घरेलू हिंसा के बावजूद शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाती हैं, जिसके कारण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपायों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त, विधिक जागरूकता की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अनेक महिलाएँ यह नहीं जानतीं कि उन्हें संरक्षण आदेश, निवास अधिकार, आर्थिक सहायता एवं प्रतिकर प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। इस प्रकार, जागरूकता के अभाव में अधिनियम का प्रभाव सीमित रह जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की विभिन्न रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा की समस्या व्यवहारिक स्तर पर अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान है तथा अनेक महिलाएँ संस्थागत सहायता एवं न्याय तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। इससे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियाँ परिलक्षित होती हैं।

9. निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील विधिक साधन है, जो उन्हें घरेलू संबंधों के भीतर होने वाली हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। अधिनियम का विधिक ढाँचा व्यापक है तथा इसमें महिलाओं को संरक्षण, निवास, आर्थिक सहायता एवं प्रतिकर जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। तथापि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में यह प्रतिपादित किया गया है कि महिलाओं के संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निरंतर सुधार एवं सुदृढ़ क्रियान्वयन आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विधिक एवं संस्थागत सुधार अनिवार्य हैं। व्यवहारिक स्तर पर संस्थागत तंत्र की कमियाँ, न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, पुलिस की निष्क्रियता, सामाजिक बाधाएँ

एवं विधिक जागरूकता का अभाव इसके प्रभावी प्रवर्तन में प्रमुख अवरोध के रूप में सामने आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन, संस्थागत सुदृढ़ता एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, जिससे महिलाओं के लिए वास्तविक सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सुझाव

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित उपाय किए जाएँ। सर्वप्रथम, संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें। इसके साथ ही, सेवा प्रदाताओं एवं आश्रय गृहों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक त्वरित एवं सरल बनाया जाना आवश्यक है तथा पुलिस तंत्र को संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। महिलाओं में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग कर सकें।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान, 1950।
2. जैन,एम.पी. भारतीय संवैधानिक विधि, लेक्सिसनेक्सिस, 2016।
3. भारतीय दंड संहिता, 1860।
4. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights), 1948।
5. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का अभिसमय (CEDAW), 1979।
6. अग्रवाल,एच. ओ. अंतरराष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 2019।

7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
8. भानोट, वी.डी. बनाम सविता भानोट, (2012) 3 SCC 183
9. बत्रा, एस.आर. बनाम तरुणा बत्रा, (2007) 3 SCC 169।
10. हिरल पी. हरसोरा बनाम हरसोरा,कुसुम (2016) 10 SCC 165।
11. शर्मा, इंद्रा बनाम शर्मा, वी.के.वी. (2013) 15 SCC 755।
12. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की रिपोर्ट।
13. विधि आयोग (Law Commission of India) की संबंधित रिपोर्टें।